न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम म.प्र.

आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड रतलाम के
अपराध कं. 247/2020

....

प्रतिलिपि–जमानत आदेश

21.05.2020 राज्य द्वारा ए डी पी ओ।

आरोपी लीलाबाई की ओर से श्री विजय यादव अधिवक्ता।

प्रकरण आरोपी के जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम के द्वारा प्रकरण की केस डायरी ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गई।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तर्क श्रवण किये जाने का प्रयास किया गया, किन्तु विडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष से न्यायालय का युनिट कनेक्ट नही होने के कारण संबंधित अधिवक्ता श्री विजय यादव ने उनके मोबाईल फोन नंबर से न्यायालय के प्रवर्तन लिपिक श्रीमती उषा शर्मा के मोबाईल फोन पर व्हाटसएप विडियो कॉल किया गया, जिसके माध्यम से अधिवक्ता ने पीठासीन अधिकारी को तर्क प्रस्तुत किये।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अवलोकन करने से दर्शित है कि आरोपी लीलाबाई के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम तथा धारा 188 भा0द0स0 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 247/2020 थाना स्टेशन रोड पर पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी लीलाबाई के द्वारा लॉक डाउन की अवधि में 50 बल्क लीटर से अधिक शराब को परिवहन करने का अपराध किया है जो कि गंभीर प्रकृति का है, जिसमें जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आरोपी लीलाबाई का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक 03.06.2020 को पेश हो।

sd/-
(निलेश कुमार जिरेती)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रतलाम(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)
सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)
सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)